



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 1
PART III—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 10]
No. 10]

नई दिल्ली, बुध्स्पतिवार, अप्रैल 12, 1984/चैत्र 23, 1906
NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 12, 1984/CHAITRA 23, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

कार्यालय, सहायक आयकर अधिकारी
(निरीक्षण) अजंज रज, कानपुर

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ
(1) के अधीन सूचनाएं

कानपुर, 10 अप्रैल, 1984

निदेश नं० एम० 1573/83-84/13.—अतः मुझे पी०एन० पाठक,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसके पश्चात्
'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269घ के अधीन सक्षम
प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका
उचित बाजार मूल्य 25,000/-से अधिक है और जिसकी सं० 8536 है
तथा जो मेरठ में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण
रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मेरठ में, रजिस्ट्री-
करण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 21-7-83
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल
के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है
कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल
से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्ना प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक
(अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए

तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त अन्तरण, लिखित में
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है।

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, आयकर अधिनियम,
1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के
दायित्व में कमी करने या उससे बढ़ने में सुविधा के लिए
और/या
- (ख) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों की जिन्हें
भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धन-कर
अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था,
छिपाने में सुविधा के लिए

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण में, मैं
उक्त अधिनियम की धारा 269घ के उप धारा (1) के अधीन, निम्न-
लिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

1. श्रीमती दया वती पत्नी ईश्वर चंद (अन्तरक)
ब कुमुद कुमार आदि सं० कानून गोयान—मेरठ
2. श्री राज योग एजूकेशन एण्ड टिचर्स (अन्तरिती)
फाउण्डेशन रजि० द्वारा ब्रह्म कुमारी कमल सुन्दरी सदस्य (प्राजापति)

ब्रह्मकुमारी ईश्वरी विश्व विद्यालय—मेरठ को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता है। उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि, या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 की अवधि, जो भी अवधि बाब में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा।

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20 क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

संक्रान्त 198/199

R/o कानून गोयान
मेरठ

तारीख: 10-4-1984

मोहर

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME TAX,
ACQUISITION RANGE, KANPUR.

Notice Under Section 269-D (I) of the (II In-
come Tax Act, 1961 (43 of 1961))

Kanpur, the 10th April, 1984

Ref. No. M-1573-83-84/13.—Whereas I, P.N. Pathak being the Competent Authority under section 269-B of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing number As Per SCHEDULE situated at AS PER SCHEDULE (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registering Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Meerut on 21-7-83 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) Facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer, and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269-C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269-D of the said Act to the following persons, namely:—

1. Smt. Daya Wati w/o Shri Iswar Chand
other R/o Kanoon Goyain Meerut
(Transferor)
2. Rajyog Education and Research foundation
Regd. Braham Kumari Kamal
Sundri Sadasya Parja Peeta, Braham
Kumari Iswar vidyalaya Meerut
3. S/Shri—do—(Persons in occupation of the
property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of the notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

Explanation : The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

SCHEDULE

One House No. 198 or 199 R/o Kanoon
Goyan Meerut

Date : 10-4-84

Seal :

निर्देश नं० ए—1831/83-84/12 —अतः मुझे पी०एन० प०.प०.प०. आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-से अधिक है और जिसकी सं० 3095 है तथा जो मथुरा में स्थित है (और हमने उपाख्य अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मथुरा में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 6-7-83 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्य में प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए

तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त अन्तरण, लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है।

(क) अन्तरण से-दुई किसी आय की बाबत, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तर के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269B के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269B की उप धारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

1. श्री डाऊ दयाल अग्रवाल (अन्तरक)

पुत्र हतो साल अग्रवाल पि० 1207
मनिक चौक मथुरा।

2. श्रीमती मनी चतुर्वेदी (अन्तरिती)

पत्नी श्री डी० एन० चतुर्वेदी 6 बी
गिरी राज अट्टा माउन्ट रोड बम्बई

3. श्री/श्रीमती/कुमारी अन्तरिती (वह व्यक्ति, जिसके
..... अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ। उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि, या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा।

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20 क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लॉट नं० 30 डम्पियर नगर मथुरा

तारीख: 10-4-84

मोहर

Ref. No. A-1831/83-84/12.—Whereas I, P. N. Pathak being the Competent Authority under section 269-B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing number AS PER SCHEDULE situated at AS PER SCHEDULE (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Mathura on 6-7-83 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to

between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of —

(a) Facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269-C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269-D of the said Act to the following persons, namely:—

1. Shri Deo Dayal Agrwal S/o Hati Lal Agarwal R/o 1207 Manik chowk Mathura (Transferor).—

2. Mrs-Mani Chathurvedi w/o Deena Nath Chathur vedi H. No. 6. B. Giri Raj Atta Mount Road Bombay-400026 (Transferee).—

3. S/Shri —do — (Persons in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

Explanation: The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

SCHEDULE

Plot No. 30 Dampiar Nagar, Mathura

Date: 10-4-84

Seal:

निर्देश नं० एम-1428/83-84/20.—अतः मुझे पी०एन० पाठक, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसको परन्तु 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269B के अधीन सक्रम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका

उचित बाजार मूल्य 25,000/से अधिक है और जिसकी सं० 5238 है तथा जो देहरादून में स्थित है (और इससे उपायध्व अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय देहरादून में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 1-7-83 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्ध्र प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त अन्तरण, लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है।

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की धावत, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के बायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उप धारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

1. श्री सरदार मोहिन्दर सिंह धूपर (अन्तरक)
30 सरस्वती सोनी मार्ग,
देहरादून
2. श्री ओम प्रकाश सरोगी (अन्तरिती)
30 सरस्वती सोनी मार्ग
देहरादून
3. श्री/श्रीमती/कुमारी अन्तरिती (वह व्यक्ति/ जिसके
..... अविभाग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ। उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि, या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा।

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरों के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

बिम्बित:— 30 सरस्वती सोनी मार्ग

देहरादून

तारीख: 10-4-84

भोहर

Ref. No. M-1428/83-84/20.—Whereas I, P. N. Pathak being the Competent Authority under section 269-B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), have been reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding

Rs. 25,000 and bearing number AS PER SCHEDULE situated at AS PER SCHEDULE (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Dehradun on 1-7-83 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) Facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer, and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269-C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269-D of the said Act to the following persons, namely:—

1. S/Shri Sardar Mohinder Singh Dhooper
30 Sarasvati Soni Marg, Dehradun
(Transferor).—
2. S/Shri Om Prakash Sarogi 30 Saraswati Soni Marg Dehradun
(Transferee).—
3. S/Shri Tree (Persons in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in Official Gazette.

Explanation: The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have

the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Building 30-Saraswati Soni Marg, Dehradun.

Date . 10-4-84

Seal .

निर्देश नं० एम०-1595/83-84/19 :—अतः मुझे पी० एन० पाठक, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- से अधिक है और जिसकी सं० 8893 है तथा जो मेरठ में स्थित है (और इससे उपावय अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मेरठ में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 30-7-83 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्नाह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त अन्तरण, लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है।

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बावत, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के घायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्री मुनेशचन्द पुत्र हरी चन्द
त्रिलोकी नाथ त्रिजुगी नाथ आदि
नि० एम/3/47 जवाहर क्वार्टर मेरठ (अन्तरक)
2. श्री डा० नरेन्द्र सिंह पुत्र वश सिंह (अन्तरिती)
मि बमौली मकान नं० एम 3/47 जवाहर क्वार्टर मेरठ (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ। उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आपत्ति :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि, या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा।

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अश्वो-हस्ताक्षरी के पाम लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20 क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान नं० एम-3/47 जवाहर क्वार्टर, मेरठ

तारीख : 10-4-84

मोहर :

Ref. No M.-1595/83-84/19.—Whereas I P.N. Pathak being the Competent Authority under section 269-B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing number as per Schedule situated at as per Schedule (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Meerut on 30-7-83 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the instrument of transfer with the object of :—

- (a) Facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer, and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269-C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269-D of the said Act to the following persons, namely :—

1. Shri Munish Chand s/o Hari Chand Tri-loki Nath Trijugi Nath other M-3/47 Jawahar Quarters, Meerut (Transferor)
2. Dr. Narendra Singh and Smti Kusum lata Jointly M-3/47 Jawahar Quarter, Meerut Transfree

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in Official Gazette.

Explanation : The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

one house No. M-3/47 Jawahar Quarter Meerut.

Date . 10-4-84

Seal .

विद्वैश नं० एम-1589/83-84/14 :—अतः मुझे पी० एन० पाठक, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269B के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- से अधिक है और जिसकी सं०..... है तथा जो.....में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय.....में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख.....को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त अन्तरण, लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है।

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या
- (ख) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों की जिन्हे भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269B के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269B की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्री कान्ति प्रसाद पुत्र श्री ज्योति प्रसाद
महेश्वरी निवासी-खालापार
तहसील व जिला—सहारनपुर (अन्तरक)
2. श्री राम प्रकाश
पुत्र मुन्शी राम, एवं ककीर चन्द्र पुत्र मुन्शी राम इत्यादि।
निवासी—ग्राम बुद्धा खोड़ पोस्ट—हलवाना
तहसील व जिला—सहारनपुर (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य-वाहियां शुरू करता हूँ। उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि, या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाब में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा।
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय एक में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लॉट—ग्राम-बुद्धा खोड़

परगना—हरोड़ा, तहसील व जिला सहारनपुर

तारीख : 10-4-84

मोहर :

Ref. No. M-1589/83-84/14.—Whereas I, P.N. Pathak being the Competent Authority under section 269-B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing number As Per Schedule situated at as per Schedule (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Saharanpur on 26-7-83 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the instrument of transfer with the object of :—

- (a) Facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269-C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269-D of the said Act to the following persons, namely :—

1. S/Shri Ram Prakash s/o Munshi Ram Fakir Chander S/o Munshi Ram and others (R/O Village Buddha Khara Post-Holusna, Tehsil and District SAHARANPUR)
2. S/Shri Kanti Prasad s/o Jyoti Prasad Maheshwari R/o Khala-pur Tehsil and Distt. SAHARANPUR (TRR)
3. Shri TREE (Persons in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in Official Gazette.

Explanation : The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot-Villabe-Buddha Khara Pargana-Handa Tehsil & Distt. Saharanpur.

Date . 10-4-84

Seal

निदेश नं० एम०-1626/83-84/15.—अतः मझे पी० एन० पाठक आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- से अधिक है और जिसकी सं० 16591 है तथा जो गाजियाबाद में स्थित है (और इससे उपाखण्ड अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के, कार्यालय गाजियाबाद में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का

16) के अधीन तारीख 19-7-83 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से 1/10 वें भाग के वृष्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके वृष्यमान प्रतिफल से, ऐसे वृष्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरित्री (अन्तरित्रीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए नय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त अन्तरण, लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है।

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरित्री द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 ग की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती आभा सिधन, पत्नी
श्री शंकर प्रसाद सिधन, नि०
घर नं० बी-2, सेक्टर-2, नेहरू नगर, गाजियाबाद (अन्तरक)
2. श्रीमती इन्द्रा मुरारी, पत्नी
श्री श्याम मुरारी, निवासिनी
घर नं० बी-2, सेक्टर-3,
नेहरू नगर, गाजियाबाद। (अन्तरित्री)
3. श्री/श्रीमती/कुमारी अन्तरित्री (बहु व्यक्ति, जिसके
..... अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करना हैं। उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि, या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी बाद में समाप्त होगी हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा।

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधिभोगी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान नं० सेक्टर-26, बाके सेक्टर-2,
नेहरू नगर, गाजियाबाद

तारीख : 10-4-84

पी० एन० पाठक, सक्षम प्राधिकारी,
(सहायक आयकर आयुक्त, निरीक्षण),
मोहर : (अर्जन रेंज) कामपुर

Ref No. M-1626/83-84/15.—Whereas I, P.N. Pathak being the Competent Authority under section 269-B of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), have been reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing number As Per Schedule situated at As Per Schedule (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Gaziabad on 19-7-83 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the instrument of transfer with the object of :—

- (a) Facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer, and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269-C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269-D of the said Act to the following persons, namely :—

1. Shrimati Abha Singhal, w/o Sri. Shanker Parshad Singhal R/o III-B-2. Sector 2 Nehru Nagar, Ghaziabad. (Transferor)

2. Shrimati Indra Murari, w/o Sri Shyam Murari R/o Third-B-2, Sector-3, Nehru Nagar Ghaziabad. (Transferee)

3. S/Shrimati Indra Murari, w/o Shyam Murari, R/o Third-B-2, Sector-3, Nehru Nagar, Ghaziabad. (Persons in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in Official Gazette.

Explanation : The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House No. Second-A 26 at Sector-2
Nehru Nagar, Ghaziabad.

Date : 10-4-84

SEAL

P. N. Pathak, Competent Authority Inspecting
Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition
Range KANPUR